प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 0551–2273973
Phone & Fax : 0551–2273973

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : 753/साo-330/ओoएoनo-487/2023 दिनांक : 16-11-23

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001 .

Sub: **Regarding submission of Joint Committee Report in compliance of the order dated 04.08.2023 in OA no. 487/2023 In the matter of Satish Chandra Pati Tripathi Vs. State of UP.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 04.08.2023 in OA no. 487/2023 In the matter of Satish Chandra Pati Tripathi Vs. State of UP, The Joint Committee Report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,

16/11/2023
(Anil Kumar Sharma)
Regional Officer

Copy to: Following for information and further necessary action.

1. M.S., U.P.P.C.B., Lucknow.
2. Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.
3. Shri Arvind Kumar Advocate, N.G.T., New Delhi.
4. CEO-6, U.P.P.C.B., Lucknow.
5. CLO, U.P.P.C.B., Lucknow.

(Anil Kumar Sharma)
Regional Officer

Joint Inspection Report of Brick Kiln M/s A.B.T. Ent Udyog, Vill- Chakbandi, Alias Pasanpur, Tehsil- Sadar, Distt- Deoria & M/s P.M.T. Ent Bhattha, Vill-Gobrai, Post- Barhara Babu, Tehsil- Sadar, Distt- Deoria in the matter of O.A. No. 487/2023 Satish Chandra Pati Tripathi Vs State of Uttar Pradesh.

Background

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 04 August 2023 in the matter of **O.A. No. 487/2023 Satish Chandra Pati Tripathi Vs State of Uttar Pradesh** to look into grievances of the applicant, Associate the applicant and the preventative of the concerned project proponent and verify the factual position and take appropriate remedial action. Relevant para of Hon'ble NGT order is as under-

"....3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

4. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPC) and District Magistrate (DM), Deoria and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned Project Proponents, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the Project Proponents. The U.P.P.C.B. will be the Nodal Agency for co-ordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report may be submitted within two month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 20.11.2023"

Copy of the reference NGT order is annexed as **annexure no. A.**

In compliance of the above Hon'ble NGT order for joint inspection of alleged brick kiln industries situated in Distt- Deoria, District Magistrate, Deoria has Nominated A.D.M. (F/R) as a committee member and Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow has Nominated Anil Kumar Sharma, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur by vide letter no. H. 99142/C-6/Sa-793/O.A. No. 487/2023, dated 10.08.2023 for joint inspection. Copy of the letter annexed as **annexure no. B.**

Salient observation and recommendation based on site inspection and available office records are as under.

A. M/s A.B.T. Ent Udyog, Vill- Chakbandi, Alias Paranpur, Tehsil- Sadar, Distt- Deoria

- In Compliance of the above said order the site of the above brick kiln unit has jointly visited on 26.08.2023 in presence of Shri Piyush Tripathi representative of A.B.T. Ent Udyog Brick Kiln Unit. At the time of joint inspection brick kiln unit was found closed.
- The above brick kiln unit has established and operated in the year of 2022 without obtaining C.T.E. and C.T.O. from UPPCB. In the site inspection of the above brick

kiln on dated 28.03.2023 by Officials of Regional Office UPPCB, Gorakhpur, site of the Brick Kiln unit established at said address was not found as per the Guideline of New Brick Kiln establishment notification dated 27.06.2012, stipulated by UP Govt. Due to that, UPPCB, Lucknow has issued the closure order to the above Brick Kiln unit by vide letter no. H. 92587/C-6/Int Bhattha/833/Closure Order/Gorakhpur/2023, dated 25.04.2023. The joint team for compliance of the above closure order had visited the alleged brick kiln site and insured/implemented the said closure order at brick kiln unit on dated 27.06.2023. the copy of the compliance report of closure order is enclosed as **(annexure no. 1)**

- At the time of Joint Inspection the alleged Brick Kiln unit was found closed in compliance of the above said closure order issued by UPPCB. Present Photograph of the brick kiln unit is enclosed as **(annexure no. 2)**.

B. **M/s P.M.T. Ent Bhattha, Vill- Gobrai, Post- Barhara Babu, Tehsil- Sadar, Distt- Deoria.**

- In Compliance of the above said order the site of the above brick kiln unit has jointly visited on 05.09.2023 in presence of Shri Ankit Tripathi representative of A.B.T. Ent Udyog Brick Kiln Unit. At the time of joint inspection brick kiln unit was found closed.
- The above Brick Kiln unit has established and operated from the year of 2000 without obtaining C.T.E. and C.T.O. from UPPCB. Due to that, UPPCB, Lucknow has issued closure order against the Brick Kiln unit by vide letter no. H. 92586/C-6/Int Bhattha/832/Closure Order/Gorakhpur/2023, dated 25.04.2023. The Copy of closure order is enclosed as **(annexure no.3)**. The joint team for compliance of the above closure order had visited the alleged brick kiln site and insured/implemented the said closure order at brick kiln unit on dated 27.06.2023. the copy of the compliance report of closure order is enclosed as **(annexure no. 4)** .
- At the time of Joint Inspection the alleged Brick Kiln unit was found closed in compliance of the above closure order issued by UPPCB. Present Photograph of the brick kiln unit is enclosed as **(annexure no. 5)**
- In reference to direction issued by Additional Chief Secretary U.P. Govt. Environment, Forest and Climate change Section-6, Lucknow of vide letter no. 456(1)/81-6-2023, dated 19.05.2023. Copy enclosed (**annexure no. 6**). District Magistrate, Deoria has issued office order by vide letter no. 551/Sa-92/2023, dated. 05.09.2023 copy enclosed **(annexure no. 7)** to all the S.D.M. & S.H.O. of the Distt-Deoria for Compliance and implementation of the order issued by Hon'ble High Court Allahabad in the matter of PIL No. 1103/2023 Pramod Kumar Rajbali Singh V/s U.P. State and Others dated. 09.05.2023.

The above Joint Inspection Report along with all annexure and photograph is being submitted for kind perusal and further necessary action please.

26/10/2023 | 26.10.2023
(Anil Kumar Sharma) | (Arun Kumar Rai)
Regional Officer | A.D.M. (F/R)
Gorakhpur | Distt- Deoria

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD)

क्र0 H97526/सी-6/ईट भट्ठा/832/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023 दि0 25-4-23

पंजीकृत

सेवा में

मेसर्स पी0एम0टी0 ईट भट्ठा,
ग्राम-गोबराई, पोस्ट-बड़हरा बाबू,
तहसील-सदर,
जनपद-देवरिया।

यह कि मेसर्स पी0एम0टी0 ईट भट्ठा, ग्राम-गोबराई, पोस्ट-बड़हरा बाबू, तहसील-सदर,जनपद-देवरिया जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी, पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट/दिन ईट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवँ नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-2(ट) के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्ठे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.03.2023 को किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा पूर्व में किये गये निरीक्षण आख्यानुसार निर्माणाधीन ईट भट्ठे के पूरब दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम--सोनीपुर, अनुमानित आबादी लगभग 700 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 570 मीटर की दूरी पर ग्राम-गोबराई अनुमानित आबादी लगभग 1500 एवं प्राथमिक विद्यालय प्राणपुर लगभग 440 मीटर की दूरी पर स्थित है, दक्षिण दिशा में लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम-दलपिठनी अनुमानित आबादी लगभग 1000 स्थित है। उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 370 की दूरी पर ग्राम-प्राणपुर अनुमानित आबादी लगभग 700 स्थित है। ईट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा स्थल (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के अनुरूप नही है।

यह कि ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में लकडी/कोयला लगभग 3.2 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईट भट्ठे में फ्लू गैसों के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यनुसार ईट भट्ठे को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा-31 ए के अन्तर्गत दिनांक 24.02.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भट्ठे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नही दिया गया है।

यह कि ईट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नही है तथा ईट भट्ठे की स्थापना हेतु बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नही की गयी है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना उद्योग की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एव व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स पी0एम0टी0 ईट भट्ठा, ग्राम-गोबराई, पोस्ट-बड़हरा बाबू, तहसील-सदर,जनपद-देवरिया के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स पी0एम0टी0 ईट भट्ठा, ग्राम-गोबराई, पोस्ट-बड़हरा बाबू, तहसील-सदर,जनपद-देवरिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्ठे मेसर्स पी0एम0टी0 ईट भट्ठा, ग्राम-गोबराई, पोस्ट-बड़हरा बाबू, तहसील-सदर,जनपद-देवरिया की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्ठे को मिलने वाली अन्य सुविधिाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देवरिया।
4. जिला खान अधिकारी, देवरिया।
5. क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त-6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD)

पत्रांक...H92587 /सी–6/ईट भट्ठा/833/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023 दि० 25-4-23

पंजीकृत

सेवा मे

मेसर्स ए०वी०टी० ईट उद्योग,
ग्राम– चकबन्दी उर्फ परानपुर,
तहसील– सदर,
जनपद–देवरिया।

यह कि मेसर्स ए०वी०टी० ईट उद्योग, ग्राम– चकबन्दी उर्फ परानपुर, तहसील–सदर,जनपद–देवरिया जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी, पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट/दिन ईट के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–2(ट) के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि ईट भट्ठे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.03.2023 को किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा पूर्व में किये गये निरीक्षण आख्यानुसार निर्माणाधीन ईट भट्ठे के पूरब दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम–सोनीपुर, अनुमानित आबादी लगभग 2000 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 250 मीटर की दूरी पर ग्राम–परानपुर अनुमानित आबादी लगभग 700 स्थित है दक्षिण दिशा में लगभग 02 कि०मी० की दूरी पर गाम–दलपठनी अनुमानित आबादी लगभग 1000 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम–मेहरौना अनुमानित आबादी लगभग 600 स्थित है उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय चकबन्दी उर्फ परानपुर स्थित है।

यह कि ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में लकडी/कोयला लगभग 3.2 टन/दिन का प्रयोग किया जाता है। ईट भट्ठे में पलू गैसों के उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 27 मीटर ऊंची स्थापित है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार ईट भट्ठे को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत दिनांक 24.02.2023 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु ईट भट्ठे द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण नही दिया गया है।

यह कि ईट भट्ठे का स्थल उ०प्र० ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नही है तथा ईट भट्ठे की स्थापना हेतु बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नही की गयी है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना उद्योग की स्थापना/संचालन किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतएव जन–स्वास्थ्य एवं व्यापक जन–हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्ठे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मेसर्स ए०वी०टी० ईट उद्योग, ग्राम– चकबन्दी उर्फ परानपुर, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स ए०वी०टी० ईट उद्योग, ग्राम–चकबन्दी उर्फ परानपुर, तहसील–सदर,जनपद–देवरिया के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्ठे मेसर्स ए०वी०टी० ईट उद्योग, ग्राम–चकबन्दी उर्फ परानपुर, तहसील–सदर, जनपद–देवरिया की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्ठे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देवरिया।
4. जिला खान अधिकारी, देवरिया।
5. क्षेत्रीय अधिकारी,उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

स्पाट मेमो

कार्यवाही दिनांक 27-6-23

आज दिनांक 27-6-23 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एच. 92586 / सी0–6 / ई0भ0 / 832 / बन्दी आदेश / गोरखपुर / 2023, दिनांक 25.04.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मेसर्स पी0एम0टी0 ईट उद्योग, ग्राम– गोबाई, पो0– बड़हरा बाबू, तहसील– सदर, जनपद– देवरिया स्थित ईट भट्ठे के जाँच हेतु राजस्व टीम / पूलिस टीम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित / बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्ठे को संचालन बन्द कराया गया तथा ईट भट्ठा मालिक को अवगत कराया गया कि भविष्य में ईट भट्ठे का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये न किया जाये।

(signature) 27-6-23
(अयोध्या प्रसाद)
वै० सहा०
उ० प्र० प्रदूषण नि० बोर्ड
गोरखपुर

(signature) 27-06-23
(नायब तहसीलदार)
देवरिया

अवगत करा दिया गया
रामशंकर 27-6-23
8874938827
प्रो० पी० एम० टी० ईट उद्योग
गोबराई

स्पाट मेमो

कार्यवाही दिनांक ...27-6-23...

आज दिनांक 27-6-23 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0 एच. 92587/सी0–6/ई0भ0/833/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2023, दिनांक 25.04.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, देवरिया द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मेसर्स ए0वी0टी0 ईट उद्योग, ग्राम– चकबन्दी उर्फ परानपुर, तहसील– सदर, जनपद– देवरिया स्थित ईट भट्ठे के जाँच हेतु राजस्व टीम/पूलिस टीम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित/बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय संयुक्त टीम द्वारा ईट भट्ठे को संचालन बन्द कराया गया तथा ईट भट्ठा मालिक को अवगत कराया गया कि भविष्य में ईट भट्ठे का संचालन बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये न किया जाये।

(हस्ताक्षर) 27-6-23
(अयोध्या प्रसाद)
वैज्ञानिक सहा0
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
गोरखपुर

(हस्ताक्षर) 27.06.23
(नायब तहसीलदार)
देवरिया

अवगत कराया ~~गया~~ गया।

Piyush Tripathi
मेसर्स ए0वी0टी0 ईट उद्योग

कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया

551/ आ०-92/2023 05-9-2023

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित रिट याचिका सं0 1103/2023, दिनांक 09.05.2023 में पारित आदेश के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 के पत्रांक सं0 456/81–6–2023, दिनांक 19 मई, 2023 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में समस्त उपजिलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष जनपद देवरिया को निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यक्षेत्रों में अवैध रूप से स्थापित एवं संचालित ईट भट्ठों जिनको उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, की संलग्न सूची जो उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर द्वारा प्रस्तुत की गयी है, में अंकित ईट भट्ठा इकाईयों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित रिट याचिका सं0 1103/2023, दिनांक 09.05.2023 में पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

05-9-23
जिलाधिकारी
देवरिया।

पत्रांक ...., दिनांक ....

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. पुलिस अधीक्षक, जनपद देवरिया।
4. उपजिलाधिकारी, देवरिया सदर/रूद्रपुर/बरहज/सलेमपुर/भाटपार रानी।
5. समस्त थानाध्यक्ष, जनपद देवरिया।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।
7. जिला खान अधिकारी, देवरिया।

जिलाधिकारी
देवरिया।

File No.81-7005(002)/1/2023-06-,

17364

O.C पर्यावरण / क्षेत्रीय अधि० उ०प्र० प्रदूषण नि०बोर्ड

17-06-

महत्वपूर्ण

संख्या–456 / 81–6–2023

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

जिलाधिकारी
गोरखपुर

सेवा में,

1– पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्ध नगर / लखनऊ / कानपुर / वाराणसी / आगरा / प्रयागराज / गाजियाबाद।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक : 19 मई, 2023

विषय–प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईंट भट्ठों से फैल रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–970 / 81–7–2019–39(पर्या0) / 2014–टी0सी0–1, दिनांक 21.08.2019, शासनादेश संख्या–582 / 81–7–2021–39(पर्या0) / 2014–टी0सी0–1, दिनांक 08.07.2021 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6, के शासनादेश संख्या–1022 / 81–6–2022 दिनांक 17.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईट भटठों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ईट भट्ठा संचालनार्थ अनुज्ञप्ति / अनापत्ति / लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों तथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वाणिज्यकर के जिला स्तरीय कार्यालयों से परीक्षणोपरान्त ही अनुमति / अनापत्ति / लाइसेन्स निर्गत किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से संचालित ईट भट्ठों का संचालन निषिद्ध कराये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ईट भट्ठों के विरूद्ध बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत आदेश संख्या 303 / 81–7–2021–39(पर्या) / 2014–टी0सी0–1 दिनांक 15.03.2021 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को निर्देश दिये गये है।

7230
क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी

2– ईट भटठों द्वारा तकनीकी दृष्टिकोण से उपर्युक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित एवं संचालित न किये जाने के कारण परिवेशीय वायु गुणता कुप्रभावित न हो तथा ईट भट्ठा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थलों पर स्थापित किये जायें, इस उद्देश्य से पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–921 / 55–पर्या / 12–(पर्या)–11 दिनांक 27.06.2012 के माध्यम से उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त है। उक्त नियमावली के नियम–3 में उपबन्धित है कि ईट भटठा की फुँकाई के संबंध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत / सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्टा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गई हो।

CRO
14.6.23

3– मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका सं0–1103 / 2023, प्रमोद कुमार राज बली सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में ईट भटठों के सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2023 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत है :–

"................... 3. The Court is flooded with this type of petitions. Every week more than one and at times many petitioners are claiming similar grievance of unauthorised brick kilns set up or that

File No.81-7005(002)/1/2023-06-,

-2-

running brick kilns have not been closed despite directions issued by the statutory authorities. A third variety of case is also coming to this Court where the petitioners are claiming to be brick kiln owners who are complying with the law, yet, they are not being allowed to run their brick kilns.

4. Individual merits of such matters apart, this much is clear from the facts observed above that widespread grievance exists with the citizens as to due compliance and enforcement of the law.

5. By very nature and scope of influence, environment issues are such as may affect the present and future generations to come. The Court cannot ignore ramifications of violation of environmental laws in the inherent hope that the statutory authorities and government functionaries would remain aware and act with due diligence as to ensure strict compliance of the law. At present, on prima facie basis, slackness is observed in the due implementation of the law..............."

4- राज्य में अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे ईंट भट्ठों की सूची उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट (http://www.uppcb.com/status brick klin.htm) पर अपलोड की गई है, जिसमें से वर्तमान में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईंट भट्ठों का संचालन निषिद्ध किया जाना है। अतएव यह आवश्यक है कि ईंट भट्ठा संचालन हेतु अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले राज्य सरकार के समस्त विभाग ईंट भट्ठों को अग्रतर संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/लाइसेंस/अनापत्ति तब तक जारी न करें जब तक ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त न कर लेवें तथा ऐसे ईंट भट्ठे जिन्हें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त नहीं है उनका संचालन निषिद्ध किया जाये।

5- शासन स्तर पर प्रदेश में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों के संचालन को निषिद्ध किये जाने के संबंध में समीक्षा की गई तथा समीक्षा में पाया गया कि अवैध रूप से संचालित हो रहे ईंट भट्ठों के संबंध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन व अनुपालन जिला प्रशासन द्वारा यथा समय सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जिससे अवैध रूप से संचालित भट्ठों के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है।

6- अतः प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश तथा समय≤ पर मा0 न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना एवं जी0एस0टी0 पंजीयन के बिना अवैध ईंट भट्ठों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त ऐसे ईंट भट्ठे जिन्हें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, को संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म व वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स निर्गत न किया जाना एवं प्रदेश में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश का त्वरित गति से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक त्रैमास के अन्त में शासन को उपलब्ध भी कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)

अपर मुख्य सचिव

Signed by मनोज सिंह
Date: 19-05-2023
Reason: Approved

<u>संख्या–456 (1)/81–6–2023–तद् दिनाँक</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज/संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन/भूतत्व एवं खनिकर्म/गृह/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

3- आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ/प्रयागराज।

4- आयुक्त, वाणिज्यकर, उ0प्र0 लखनऊ।

5– निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
6– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
7– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अवैध भट्टों की सूची, समन्वय स्थापित करके संबंधित जिला अधिकारी को उपलब्ध करायें, जिससे मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(घनश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।